न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर०ए०एस०

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
सुमेरसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी मौछाल तह. शिवगंज	**बनाम**	1.बाबुडा पुत्र मौडाराम जाति मेघवाल हाल निवासी भेव तहसील शिवगंज 2.अशोक कुमार पुत्र नवाजी मेघवाल निवासी मोछाल तहसील शिवगंज 3.राज० सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा		**विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार गहलोत**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नवीन रा०प्रा० पत्र स० 94/2023
दिनांक 18.10.2024

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा मौछाल तहसील शिवगंज के खसरा नं0 265/7 रकबा 0.6313 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त राजस्व भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नं0 266 रकबा 0.6880 हेक्टयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आई हुई है। तथा उक्त अप्रार्थीगण की राजस्व भूमि भेव से मोछाल आने वाले खसरा नं0 320 में स्थित डामर सडक से लगती हुई है। प्रार्थी उक्त डामर सडक से खसरा नं0 266 के पश्चिम हिस्से के लोर के पास अपने पूर्वजों के समय से नियमित तौर से अपनी कृषि भूमि खसरा नं0 265/7 में कृषि कार्य व पशुओं को चराने हेतु आने जाने के उपयोग में ले रहा था। अप्रार्थीगण ने जानबूझ कर प्रार्थी के कृषि कार्य में रोडा अटकाने व आने जाने से रोकने के लिये अप्रार्थी के खेत की पश्चिम दिशा की माठ में जाने वाले रास्ते को अवरोधक व कांटा की बाड लगाकर बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि में जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भेव से मोछाल आने वाली सडक से अर्थात दक्षिण से उत्तर की तरफ अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के कृषि भूमि की पश्चिम माठ पर नक्शे में 'ए' से 'बी' दर्शित किया गया है। प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा 15 फिट चौडे रास्ते की मांग की गई है। उक्त स्थान पर प्रार्थी का खेत लघुतम दुरी पर स्थित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 158 दिनाक 20.03.2023 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 22.08.2023 को वादी अनुपस्थित रहने से पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई परन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.10.2023 को अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने वकालतनामा व पत्रावली पुनः नम्बर पर लेने का पेश किया जिसमें प्रार्थी द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 22.08.2023 को बीमारी की वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। प्रार्थी द्वारा उपस्थित नहीं होने का उचित कारण होने से पत्रावली रिस्टोर कर दिनांक 20.10.2023 को पुनः नम्बर पर ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 11.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) 151 सीपीसी पेश कर अवगत कराया कि अप्रार्थी सं0 2 शांति मेघवाल ने अपने हक हिस्से की भूमि अशोक कुमार मेघवाल को बेच दी है। जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 2 शांति मेघवाल को डिलीट कर उनकी जगह अशोक कुमार मेघवाल को रेकर्ड पर लिया गया। दिनांक 25.06.2024 को अप्रार्थी सं0 2 के नोटिस तामिल होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर इनका जवाब बंद किया गया। दि[illegible] 1 के नोटिस अखबार में प्रकाशित करने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उन[illegible] एक तरफा कार्यवाही कर इनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 11.09.20[illegible] शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव पेश किया जिस पर दिनांक 18[illegible] के प्रस्ताव, नक्शा व मौका फर्द अनुसार स्वीकार किया जा[illegible] की गई। तहसील[illegible]वगंज द्वारा उनके पत्र कमांक 528 दिनांक 2.09.2024 के द्वारा मौ[illegible] जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता [illegible]वित नजरी नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' अंकित किया है कि रिपोर्ट इस आशय से प्राप्त हुई कि प्रार्थी की खसरे में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित मार्ग ग्राम मौछाल के खसरा नं0 266 रकबा 0.6880 है. में से दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता 5 मीटर चौडा एवं 112 मीटर लम्बा है। जिसका क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:48 IST
Reason: SelfAttested

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 94/2024
सुमेरसिंह बनाम बाबुडा वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

खसरा नं0 266 में न्यूनतम दुरी पर पूर्व में प्रस्तावित रास्ते के बीच कुआं बना हुआ होने से खेत के पूर्वी माठ पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थी को तहसीलदार शिवगंज द्वारा दिये गये प्रस्तावित रास्ते 'ए' से 'बी' ही मार्ग दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता के बीच कोई संरचना निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 214345 रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर की कीमत रूपये 12003/– रूपये बनती है। जिसकी दुगनी कीमत 24,006/–रूपये होती है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 18.10.2024 को बहस की जिसे सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने ए से बी मार्ग अनुसार रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता ए से बी लघुत्तम दूरी पर है, परंतु खसरा नं0 266 में न्यूनतम दुरी पर पूर्व में प्रस्तावित रास्ते के बीच कुआं बना हुआ होने से खेत के पूर्वी माठ पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिससे तहसीलदार शिवगंज द्वारा बताये गये प्रस्तावित रास्ता उचित होने से 'ए' से 'बी' पर रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौछाल तहसील शिवगंज के खसरा नं0 265/7 रकबा 0.6313 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा मौछाल के खसरा नं0 266 रकबा 0.6880 हेक्टयर भूमि में से रास्ता दिये जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 5 मीटर चौडा एवं 112 मीटर लंबा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 214345/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 12003/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 24006/–(चौबीस हजार छः) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौछाल तहसील शिवगंज के खसरा नं0 265/7 रकबा 0.6313 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु मौजा मौछाल के खसरा नं0 266 रकबा 0.6880 हैक्टयर में से रकबा 560 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 5 मीटर चौडा एवं 112 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 560 वर्गमीटर भूमि की राशि 12003/–रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 24,006/– (चौबीस हजार छः) रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदारान द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलेक्टर,
शिवगंज
दिनांक 18.10.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:48 IST
Reason: SelfAttested

कमांक/कोर्ट/2024/55।
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)